(ङ) इन छापों के दौरान कितने काले-धन का पता लगाया गया ;

(ग) इस सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ;

(घ) उनमें से कितनों के विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए ; और

(ङ) क्या इन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एकाधिकार घरानों से सम्बन्ध रखता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 में आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में ली गई तलाशियों की संख्या 634 थी, जिनके परिणामस्वरूप लगभग 5.18 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थी । आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियों सम्बन्धी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है ।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग द्वारा चलाए गए अभियोजनों की संख्या 501 थी । इनमें एकाधिकार घरानों से सम्बन्धित दो मामले शामिल हैं, अर्थात्:--

1. मेसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स ।

2. मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ।

दिल्ली के समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

1340. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन-किन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को पालेकर पंचाट के अनुसार भुगतान नहीं किया है और इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठान की ओर कर्मचारियों की कितनी-कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) श्रमायुक्त, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने पूर्णतया पालेकर पंचाट के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया :--

(1) मैसर्स बैनट कोलमैन लि0, नई दिल्ली । प्रबंधतंत्र ने वर्गीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और वे दिनांक 20-5-81 तथा 4-12-81 के आदेश के अनुसार बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर रहे हैं ।

2. मैसर्स अलजामियत (अब बंद पड़ा है) ।

3. मैसर्स समाचार भारती (अब बंद पड़ा है) ।

4. मैसर्स डेली दावत : कार्मिकों को उनके पारस्परिक करार के अनुसार वर्ग-3 की बजाय वर्ग 4 का भुगतान किया जा रहा है ।

5. मैसर्स सवेरा: अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी पुरानी परिस्थितियों को बनाए रखने के बारे में, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ।

6. मैसर्स शमा ग्रुप : प्रबंधतंत्र दिनांक 28-8-80 और 31-3-81 के पारस्परिक करारों के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर रहा है । पंचाट के फायदे केवल पत्रिका कर्मचारियों को दिये गये हैं ।

(ख) जब कभी श्रमायुक्त को पालेकर पंचाट को लागू न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है कि प्रबंधतंत्र उक्त पंचाट को लागू करे । इस समय, पालेकर पंचाट को लागू न करने के बारे में दो मामले श्रम न्यायालय में लंबित पड़े हैं ।